# न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–486 / 2017–2018

**राज्य बनाम विकास कुमार एवं अन्य**

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख<br>1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित<br>3. |
|---|---|---|
| 14.12.2018 | बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, गोगरी थाना कांड सं०–286 / 2018, दिनांक–23.08.2018 के सन्दर्भ में प्राप्त संबंधित थानाध्यक्ष, गोगरी के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–23.08.2018 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–5528 / हि0शा0 दिनांक–17.11.2018 द्वारा भी थानाध्यक्ष गोगरी के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।<br>थानाध्यक्ष, गोगरी के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन BR34J-0380,एक हीरो पेंशन प्रो मोटर साईकिल तथा वाहन संख्या–BR08P-1175 टाटा सुमो गोल्ड है, जो दिनांक–23.08.2018 को अवैध रूप से वाहन के पिछला सीट के अन्दर से चार लड़का मिलकर शराब से भरा कार्टन निकालकर लोगो एवं पुलिस के डर से कुर्मी टोला निवासी मायाराम मंडल के सुनसान डेरा में छिपा रहा है। गाड़ी का पिछला डिक्की खोलने पर डिक्की में कुल 19 कार्टुन कुल 228 सील बन्द रॉयल स्टेज का शराब जिसमें मात्रा 750 एम0एल0 का तथा 72 सील बन्द इम्पीरियल ब्लु विदेशी लिखा हुआ बरामद हुआ। थानाध्यक्ष के अधिहरण प्रस्ताव में अंकित है कि उक्त दोनो वाहनों की जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया।<br>जप्ती सूची के अनुसार उक्त वाहन में के पिछला सीट के सीट के नीचे में रखा 19 कार्टुन में 750 एम0एल0 का 228 बोतल एवं 72 बोतल रॉयल स्टेज तथा ब्लु इम्पीरियल विदेशी शराब वाहन से बरामद किया गया। जप्ती सूची पर सतीश कुमार, पु0अ0नि0 का हस्ताक्षर है।<br>प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से उक्त वाहनों के वाहन स्वामी के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से टाटा सुमो गोल्ड वाहन संख्या–BR08P-1175 का स्वामित्व प्रतिवेदन अप्राप्त। किन्तु मोटर साईकिल वाहन संख्या BR34J-0380 के स्वामी निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 14.12.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।<br>कारण–पृच्छा में वाहन स्वामी द्वारा उल्लेख किया गया है कि *जप्त पेंशन प्रो मोटर साईकिल वाहन संख्या–**BR34-0380** पर शराब नहीं पाया गया है, तथा विपक्षी माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जमानत पर है।* इस आधार पर वाहन स्वामी द्वारा जप्त पेंशन प्रो मोटर साईकिल वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया।<br>संदर्भित प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।<br>सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, | |

05/02/19

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख--सहित |
|---|---|---|
| 1. | 02. | 3. |

खगड़िया द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा--58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन शराब के कारोबार में संलिप्त था, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन संख्या--BR34J-0380 पेंशन प्रो0 मोटर साईकिलं बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम--2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है।

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34J-0380 पेंशन प्रो0 मोटर साईकिलं, जो जप्त कर गोगरी थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम--2016 की धारा--58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण--भार से मुक्त होगा। साथ--ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा--58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त पेंशन प्रो0 मोटर वाहन BR34J-0380 का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख--रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन--राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

[signature] 14/12

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 75 / विधि दिनांक 31.01.2019

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को [illegible] अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला [illegible] विभाग [illegible] खगड़िया को [illegible] [illegible] को [illegible] हेतु प्रेषित।

[signature]
[illegible] खगड़िया।
[signature] 31/1/19